राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 783वी बैठक दिनांक 03.05.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 783वी बैठक दिनांक 03.05.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9786/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
2.	9770/2023	5(f)	Diversification in Manufacturing of Sulfonated Product	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	9792/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9767/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9773/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	9775/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9761/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
8.	9038/2022	1(a)	आयरन ओर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9259/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10.	9779/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
11.	9797/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9766/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
13.	9765/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9762/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	9763/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9768/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9601/2023	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
18.	9713/2023	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
19.	8894/2021	7(da)	कॉम8894 न बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	9518/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
21.	8099/2021	1(a)	मार्बल खदान	निरस्त	परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन
22.	क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल से प्राप्त पत्र संख्या 10–19/2021 (पर्यावरण) दिनांक 24.03.23 के परिपालन में कार्यालयीन ज्ञापन जारी करने बावत्।				

1. प्रकरण क्र 9786/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.आर. मिनरल्स, पार्टनर, श्रीमती नीलम शर्मा पत्नि श्री अविनाश शर्मा, निवासी फ्लेट नं. 303, लार्ड शिवा रेसीडेंसी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.368 हेक्टेयर, खसरा 51/1/1/1, 50/1, ग्राम धुरेरी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

X. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

2. **Case No 9770/2023**: Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, DistrictRaisen (MP) by Shri SukumarKaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfacts NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002

   1. उक्त प्रकरण प्लॉट नंबर 24ए, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, तहसील–गौहरगंज, जिला–रायसेन(एमपी) में 44490 टीपीए (मौजूदा 12250 टीपीए और प्रस्तावित 32240 टीपीए) के क्षमता विस्तार एवं सल्फोनेटेड उत्पाद के निर्माण में विविधीकरण के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
   2. यह परियोजना मंडीदीप के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।मौजूदा परिसर में पर्याप्त भूमि है अर्थात 11891.59 वर्गमीटर और क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकतानहीं है।
   3. परियोजना में 44490 टीपीए (मौजूदा 12250 टीपीए और प्रस्तावित 32240 टीपीए) की प्रस्तावितविस्तारित क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के सल्फोनेटेड उत्पादों का उत्पादन शामिल है।
   4. परियोजना हेतु SEAC की 634वीं बैठक दिनांक 07.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी कियेजाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 12 से 24पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

a) परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाई का विवरण।

b) परियोजना प्रस्तावक ईंधन के रूप में केवल प्राकृतिक गैस जैसे पीएनजी/सीएनजी, एलपीजी, बायो गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग को ही शामिल करते हुए EIA रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।

c) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवंCO_2उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु ईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

d) गंध नियंत्रण के लिए EIAरिपोर्ट में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे।

e) प्रस्तावित इकाई से प्रक्रिया उत्सर्जन (process emission)का विवरण और उसके नियंत्रण की व्यवस्था कीईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।

f) नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए परियोजना का cost benefit analysis EIA रिपोर्ट में शामिलकरे।

g) टीएसडीएफ (TSDF) में ठोस/खतरनाक कचरे के निपटान के लिए Authorization/Membership।

h) खतरनाक रसायनों/विलायकों के भंडारण और प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन को संभालने और सुरक्षा प्रणाली के लिए कार्य योजना को शामिल किया जाना चाहिए ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

3. **प्रकरण क्र 9792/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मंगेश नामदेव आत्मज श्री मदनलाल नामदेव, निवासी ई–7/791, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47310 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 309, 310/1/3, 310/1/1, 310/1/2, ग्राम समनापुरकलां, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान** की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

X. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

4. **प्रकरण क्र 9767/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती फूला देवी आदिवासी पत्नि श्री प्रमोद आदिवासी, निवासी ग्राम नवादा, पो. मनिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.674 हेक्टेयर, खसरा 171 भाग, ग्राम लक्ष्मणपुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 634वीं बैठक दिनांक 07.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 40 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 100 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, कचनार, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी इत्यादि	1200
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	पीपल, नीम, पुत्रजीवा, इमली, अमरतास, कचनार आदि	240
3.	ग्राम लक्षमण पूरा के स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	आम, सीताफल, नीम, ड्रमस्टीक, जामुन, पुत्रीनजीवा, इमली आदि	500
4.	लक्षमण पूरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	आम, नीम, ड्रमस्टीक, जामुन, पुत्रजीवा, इमली, सीताफल आदि	3460
5.	खदान क्षेत्र में 30 वृक्ष करधई, 10छूला की झाडियां प्रजाति के है, जिनमें से 10 वृक्ष करधई के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से काटा जायेगा एवं इसके एवज में 100 अतिरिक्त पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा तथा शेष 30 वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।	करधई, नीम, चिरोल, करंज आदि	100
		योग	5500

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम लक्ष्मणपुरा के शासकीय स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाये।

- ग्राम लक्ष्मणपुरा के शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में 02 IRON Stretcher ABCO, 05 Wheel Chair (200 kg) Medimove, 10 Pulse Oximeter Contec, 10 BP Instrument Dr. Morepen एवं 05 Bench for Hospital SS Matt 4 Seater उपलब्ध कराये जायें।

- ग्राम लक्ष्मणपुरा में ग्रामवासियों के ऑख एवं दॉत चेकअप के लिये हैल्थ कैम्प का आयोजन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्रीमती फूला देवी आदिवासी पत्नि श्री प्रमोद आदिवासी, निवासी ग्राम नवादा, पो. मनिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.674 हेक्टेयर, खसरा 171 भाग, ग्राम लक्ष्मणपुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 1315–23 द्व दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र 9773/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन इन्टरप्राईजेज़, अधिकृत व्यक्ति, श्री अरूण कुमार अग्रवाल, निवासी 26, कर्मशियल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26296 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.530 हेक्टेयर, खसरा 191, ग्राम ताला, तहसील चंदिया, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र से पूर्व दिशा में 140 मीटर व उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्की सड़क एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर तालाब परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में पक्की सड़क एवं तालाब से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। **SEAC द्वारा प्राथमिकता पर समयावधि में प्रकरण निराकृत कर SEIAA को सूचित किया जाये।**

6. प्रकरण क्र 9775/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता गुर्जर पत्नि जन्डेल सिंह गुर्जर, निवासी 49, रत्नपुरी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19380 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 144/13, ग्राम रामपुरिया, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल,जंगल जलेबी, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
2.	परिवहनमार्गकेदोनोंतरफ(पेड़ोंकीन्यूतमऊंचाई01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3.	रामपुरिया ग्रामवासियों में वितरण हेत	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष,	1580

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि ।	
4.	शासकीय विद्यायल में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, अशोक, नीम, मोलश्री,गुलमोहर।	20
		योग	2400

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रामपुरिया के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र में चिकित्सक अधिकारी के परामर्श अनुसार आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता गुर्जर पत्नि जन्डेल सिंह गुर्जर, निवासी 49, रत्नपुरी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19380 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 144/13, ग्राम रामपुरिया, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 244–47 दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र 9761/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 06, पाठक निवास, धिमरॉला मोहल्ला, नगर परिषद, सटई, लखनगुवां, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788.5 व एम सेण्ड82278.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 5(S), ग्राम पिपरिया घन, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 35 मीटर पर स्ट्रक्चर निर्मित है एवं खदान के अंदर कंटूर ट्रेंचेस परिलक्षित है। अतः खदान के पूर्व दिशा में निर्मित स्ट्रक्चर क्या है एवं उसको खनन से कोई क्षति तो नहीं होगी के संबंध में जिला कलेक्टर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये तथा खदान में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संरक्षण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक संबंधित विभाग से 15 दिवस में अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण कमांक 9038/2022 – परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स केपीटल मिनरल्स एवं माईनिंग, पार्टनर, श्री अनिरूद्ध विश्नोई, निवासी– 36, नयागॉव सोसायटी, रामपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) आयरन ऑर माईन,** (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन **क्षमता–32,040 (आयरन ऑर– 7058 टन/वर्ष एवं** लेटराईट – **24982) टन** प्रतिवर्ष,खसरा नं. **1547, रकबा 04.50 हेक्टेयर, ग्राम गांधीग्राम, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं हाईवे से न्यूनतम 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना** प्रस्तावक द्वारा **खदान क्षेत्र में मौजूद 400 वृक्षों में से काटे जाने वाले 06 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 60 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution				
Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Remark**
1st year	In barrier zone and Road side	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	850	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility Over heap and along the drain. Drain will be inside the lease area which will be fenced
2nd year	In backfilled area and Road side	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	1800	Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
3rd year to CP	backfilled area	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	3450	Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution				
Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Remark**
1st year to 2nd year	Along the transport route (400m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species with tree guard	320	Distance between two trees – 2.5m
	Total		**6320**	
	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000	-
	Total		**8320**	

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बुराघर के तालाब का गहरीकरण किया जाये।
- ग्राम रामपुर में पीने के पानी हेतु 02 हैण्डपम्प की स्थापना की जाये।
- ग्राम रामपुर एवं गांधीग्राम में ग्रामवासियों को 2000 फलदार पौधे वितरित किये जायें।
- ग्राम की सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाये।
- ग्राम गांधीग्राम के 05 व्यक्तियों को माईनिंग का प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाये।
- ग्राम में Shaft/Roof Top/RWH Shaft पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स केपीटल मिनरल्स एवं माईनिंग, पार्टनर, श्री अनिरूद्ध विश्नोई, निवासी–36, नयागॉव सोसायटी, रामपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) आयरन ऑर माईन, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता–32,040 (आयरन ऑर– 7058 टन/वर्ष एवं लेटराईट – 24982) टन प्रतिवर्ष,खसरा नं. 1547, रकबा 04.50 हेक्टेयर, ग्राम गांधीग्राम, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)। कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 20.02.2009 अनुसार उक्त लीज 20 वर्ष (दिनांक 19.02.2029) तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.02.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

9. प्रकरण कमांक 9259/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती बिनुकुवंर पत्नि हिरेन्द्र सिंह सोलंकी, निवासी मकान नं. 97, वार्ड नं. 07, रावला गली, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	180
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	400
3.	खदान पट्टे के पश्चिम दिशा में 190 मीटर की दुरी पर पक्का रोड है जो की माल्या और आलोट ग्राम तक है इस रोड के एक तरफ 300 मीटर की लम्बाई तक दो लाइनों में पौधे लगाए जायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	150
4.	खनन पट्टे की उतरी दिशा में राम सिंह दरबार मंदिर परिसर लगभग 0.80 हैक्टेयर में 960 पौधे एवं मुख्य सडक से मंदिर परिसर की सडक (200 मीटर) के दोनो ओर दो लाइनों में लगभग 200 पौधें लगाये जायेगें।	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, खमेर, बरगद, उतरजीवा आदि	1,160
5.	खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 165 मीटर पर तालाब के पास 250 पौधे एवं खदान के दक्षिण दिशा में 770 मीटर पर	नीम, पीपल, करंज, जामुन,सफेदकस्टार, कचनार, कदम,	510

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	तालाब के पास 260 पौधें लगाए जाएगें।ट्रीगार्डकेसाथमें	आदि	
		योग	2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम आलोट के शासकीय प्राथमिक स्कूल में बाउंड्रीवाल एवं खेल मैदान का निर्माण किया जाये।
- ग्राम जीवनगढ़ एवं माल्या में चिकित्सा शिविर कार आयोजन वर्ष में 02 बार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती बिनुकुवंर पत्नि हिरेन्द्र सिंह सोलंकी, निवासी मकान नं. 97, वार्ड नं. 07, रावला गली, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम का पत्र क्र. 127 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.02.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

10. प्रकरण कमांक 9779/2023– परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश शर्मा आत्मज श्री कन्हैयाला शर्मा, निवासी 772, प्रार्थीक नगर, आनंद भवन के पास, बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 11, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 19 पेड लगे है जिसमें से 17 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 170 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

11. **प्रकरण कमांक 9797/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.एस.सी. इन्फ्राटेक, पार्टनर, श्री अजय सत्य नारायण पटवाल, निवासी 32, बी, राजेन्द्र नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 726/1, 726/2, 731/2, रकबा 0.790 हेक्टेयर, ग्राम बेडावन्या, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष में)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	450
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	150
3.	ग्रामीणोंमेंपौधोंकावितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	350
		योग	950

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बेडावन्या के शासकीय प्राथमिक स्कूल में खेल मैदान विकसित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.एस.सी. इन्फ्राटेक, पार्टनर, श्री अजय सत्य नारायण पटवाल, निवासी 32, बी, राजेन्द्र नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 726/1, 726/2, 731/2, रकबा 0.790 हेक्टेयर, ग्राम बेडावन्या, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.)। भारतीय रेल (पश्चिम) के पत्र दिनांक 03.02.2021 अनुसार 24 माह की अनुमति एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन का पत्र क्र. 2104

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 25.11.2022 उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता (02 वर्ष) दिनांक 24.11.2024 तक वैध मान्य रहेगी।

12. प्रकरण कमांक 9766/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव आत्मज श्री कमल सिंह यादव, निवासी मकान नं. 6/1, चकपाटनी, रामपुर चकपाटनी, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 63/3/1/2, 63/3/2, 64/2/1, रकबा 1.547 हेक्टेयर, ग्राम रामपुर चकपटनी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड लगे है जिसको काटा जायेगे तथा उनके एवज में 40 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

13. प्रकरण कमांक 9765/2023– परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर रोड़ तारकोट प्रा. लि. निदेशक, श्री कुलदीप सिंह सलूजा, निवासी प्लाट नं. 2283, शारदा चौक, नागपुर रोड़, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 150000 व मुरूम 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 115, 117/1, रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम शिवरी, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **बरसाती नाला से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

वृक्षारोपणहेतुस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	संख्या
बैरियरजोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल,खमेर, सीताफल एवंअन्यप्रजातियाँ	2000
परिवहनमार्ग(पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल,खमेरएवंअन्यप्रजातियाँ	170
गाँवमेंवितरण	आम, कटहल,सीताफल, निम्बूएवंअन्यप्रजातियाँ।	1430
Total		3600

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम शिवरी के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये एवं 01 कम्प्यूटर टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर रोड़ तारकोट प्रा. लि. निदेशक, श्री कुलदीप सिंह सलूजा, निवासी प्लाट नं. 2283, शारदा चौक, नागपुर रोड़, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 150000 व मुरूम 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 115, 117/1, रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम शिवरी, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)।
The Ministry of Road Transport & Highways Through Public Works Department (NH), MP

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा जारी Notice Inviting Bid अनुसार 24 माह एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के पत्र क्र. 673 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता (2 वर्ष) दिनांक 06.02.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण कमांक 9762/2023 – परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गुर्जर आत्मज श्री सरजन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम छायन, तहसील राजगढ, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3763 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 34, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम तालावाडा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र से दक्षिण–पूर्व दिशा में 40 मीटर पर जल रोकने की संरचना एवं खदान के अंदर से एक मौसमी नाला परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में जल रोकने की संरचना से निर्धारित दूरी 200 मीटर एवं मौसमी नाले से 50 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। SEAC द्वारा प्राथमिकता पर समयावधि में प्रकरण निराकृत कर SEIAA को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण कमांक 9763/2023– परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप मेहता आत्मज श्री सजनमल मेहता, निवासी 55, वार्ड नं. 2, बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15141 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 32/3, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम जालमपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सफेद सिरस, काला सिरस, सेमल, सफेद कस्टार, सिस्सू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2050
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ ।	200
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	2300
4.	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ ।	300
		योग	4850

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम खिलचीपुर के शासकीय महाविद्यालय में लाईब्रेरी हेतु 04 अलमारी एवं 01 वाटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि **जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप मेहता आत्मज श्री सजनमल मेहता, निवासी 55, वार्ड नं. 2, बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15141 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 32/3, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम जालमपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़(म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के आदेश क्र. 14 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता (2 वर्ष) दिनांक 05.02.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

16. **प्रकरण कमांक 9768/2023– परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.कॉन इन्फ्राटेक प्रा.लि., निवासी नीलकमल शॉपिंग मॉल, वार्ड नं. 2, भोपाल रोड़, पारासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 82942 व मुरूम 20000 घनमीटर 18 माह के लिये, खसरा नं. 1/1, 1/2, 1/3, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम टिकराखम्हरिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **बरसाती नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03.05.2023 के माध्यम प्रस्तुत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी के परिपालन में खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 01 वृक्ष के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों की का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष में (सतत् सिंचाई, 2 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

वृक्षारोपण हेतु स्थान	**पौधों की प्रजातियाँ**	**संख्या**
बैरियर जोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	700
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, करंज, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ	100
गाँव में वितरण	आम, कटहल, मुनगा, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
Total		1200

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम टिकराखम्हरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.कॉन इन्फ्राटेक प्र.लि., निवासी नीलकमल शॉपिंग मॉल, वार्ड नं. 2, भोपाल रोड़, पारासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 82942 व मुरूम 20000 घनमीटर 18 माह के लिये, खसरा नं. 1/1, 1/2, 1/3, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम टिकराखम्हरिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)। The Ministry of Road Transport & Highways Through Public Works Department (NH), MP द्वारा जारी Notice Inviting Bid अनुसार 18 माह एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के पत्र क्र. 678 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता (18 माह) दिनांक 07.08.2024 तक वैध मान्य रहेगी।

17. प्रकरण कमांक 9601/2023– परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अंकिता स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्रीमती प्रतीमा सिंह, निवासी ग्राम हवेली, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता12540 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 547/1, 547/3, रकबा 1.408हेक्टेयर,ग्राम हवेली, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........प्रकरण सेक की 623वी बैठक दिनांक 22/02/23 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण कमांक 9713/2023– परियोजना प्रस्तावक श्री राजसिंह राठौर आत्मज श्री गुरूगोविंद सिंह, निवासी 380, ग्राम आम्बा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम(म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 29, रकबा 3.0हेक्टेयर,ग्राम पिपलौदा, तहसीलरतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........प्रकरण सेक की 631वी बैठक दिनांक 18/03/23 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **Case No 8894/2021**: Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatmet Facility, at Village - RaudaChhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, MP by M/s J.K. Medical Waste Management System, Smt. Pramila Sharma, Partner, House No. 85, VinayGrahaNirman Society, BawadiyaKalan, Dist. Bhopal, MP Envt. Consultant:M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण श्रीमती प्रमिला शर्मा द्वारा आमजैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए प्रस्तावित 200 किलो ग्राम प्रतिघंटे की क्षमता वाले CBWTF की स्थापना खसरानं. 356, गाँव–रौड़ाछापर, तहसील और जिले शिवपुरी, (म.प्र) में लगाने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. प्रकरण में 555 वें एसईएसी दिनांक 24/02/2022 में प्रस्तुति और चर्चा के उपरांत टीओआर की सिफारिश की गई थी और 709 **SEIAA** बैठक दिनांक 07.03.22 में स्वीकृति उपरांत पत्र सं 3379 दिनांक17/03/22 के माध्यम से **ToR** जारी किया गया था।
3. SEAC में प्रस्तुति के दौरान, पीपी ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तावित सीबीडब्ल्यूटीएफ के लिए सीटीई प्रक्रियाधीन है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

Name of the project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF)
Promoter	**Mrs.Pramila Sharma of M/s JK Medical Waste Management System**
Location of Industry	Khasra no. 356, RaudaChhapar, District Shivpuri (M.P)
Total Plot Area	**4200 Sq.mt.** (1.03 Acre)
Open Area	2940.0 sq.mt.
Green Area	1421.17 sq. mt.
Capacity	❖ 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry) ❖ 1 No. Autoclave of capacity 1000 kg/hr ❖ 1 No. Shredder of capacity 200 kg/hr each ❖ ETP Capacity – 7.5 KLD

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Water Requirement	Approximately 5 KLD of water required during construction of the unit from Ratikirar Village Panchayat. During construction phase, required water will be sourced by ground water.

5. परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 18.08.2022 को अपर कलेक्टर शिवपुरी की अध्यक्षता में गाँव–रौड़ाछापर,तहसील और जिले शिवपुरी में आयोजित हुई।

6. प्रकरण का SEAC की 635 वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में विचार विमर्शकिया गया जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्रमांक 22 से 33 पर दर्ज है परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव एवं प्रस्तुतिकरण को SEAC ने संतोषजनक पाया इस आधार पर परियोजना की पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अनुशंसा की है।

SEAC की उपरोक्त बैठक में की गई अनुशंसा के प्रकाश में उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श किया और निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया गया जो कि SEAC की कार्यवाही विवरण में समाहित है :–

I. CBWTF Revised Guideline for CBWTF – CPCB के पैरा 2(b) में गैप एनालिसिस का दायित्व State Pollution Control Boards (MPPCB इस प्रकरण में) का है। इस संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सम्मति/ Authentification देते समय उचित निर्णय लेकर आगे की कार्यवाही करें।

II. इस के आधार पर MPPCB ने "Review of coverage areas/Gap Analysis Report – 2017 में प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के साथ CBWTF स्थापना की अनुशंसा की है।SEAC द्वारा भी उक्त को आधार मानते हुए प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है

III. CBWTF Revised Guideline for CBWTF – CPCB के पैरा 2(a) के तहत SPCB एक विहित प्राधिकृत संस्था (Prescribed Authority) है।

IV. SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक के सभी तथ्यों को संतोषप्रद माना है जिलों में आगामी 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि एवं प्रत्येक जिलों में मेडिकल कालेजों की स्थापना की जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन की योजना के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रकरण व्यवहारिक एवं तर्कसंगत है।

V. परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है इसके स्थापना की श्रेणी को देखते हुये इकाई के समस्त स्थापना योग्यता का परीक्षण SEAC द्वारा किया गया है और इस इकाई की स्थापना की अनुशंसा की है।

VI. प्रस्तावक, मैसर्स जेके मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वर्तमान में अशोकनगर जिले के गोधन में एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का संचालन कर रहा है और गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी टीकमगढ़ और नेवारी जिला से बायो मेडिकलवेस्ट एकत्र कर रहा है। शिवपुरी में प्रस्तावित सुविधा 75 किलोमीटर से अधिक दूर है, ब्रेकडाउन/रखरखाव अवधि के दौरान अशोकनगर में सीबीडब्ल्यूटीएफ के लिए प्रस्तावित यूनिट अतिरिक्त सुविधा के रूप में

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कार्य करेगी। यह बीएमडब्ल्यू नियमों में निर्धारित 48 घंटे के भीतर जिला शिवपुरी में स्थित एचसीएफ से बायोमेडिकल कचरे के संग्रह और निपटान के लिए स्टैंड अलोन सुविधा के रूप में भी कार्य करेगा।

VII. प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं विचार विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गई। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "Review of coverage areas/Gap Analysis Report – 2017" की प्रत्येक जिले में CBWTF की अनुशंसा, जैव अपशिष्ट की प्रदूषणकारी प्रकृति, इसका समयबद्ध निष्पादन, प्रदूषणकारी पदार्थ का अनावश्यक परिवहन से होने वाले प्रदूषण की संभावनाओं के दृष्टिगत, जनस्वास्थ्य सेवाओं की भविष्य में जिले में वृद्धि की आवश्यकता एवं जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शिवपुरी जिले में CBWTF की स्थापना करना न्याय संगत है।

VIII. SEAC द्वारा परियोजना को अनुशंसित करते हुए निम्नानुसार रिकॉर्ड किया गया है:—

"After presentation committee observed that recently there are number of cases for BMW Disposal Facilities that are being submitted by PP for EC and peoples (Mr. Shalandra Bajpai, dated 16/02/22 forwarded by MoEF&CC vide letter dated 01/11/22) are also making complaints/representations for these new facilities relating to location of facilities and gap analysis (bed capacity of 10,000 beds as per CPCB guidelines of CBWTF). The committee has evaluated the proposals on the basis of siting criteria and environmental sensitivities however; the issue raised by complainents for bed criteria shall be decided by SEIAA".

SEIAA द्वारा बेड Criteria Decided किया जाना तर्क संगत नहीं है। SEIAA एवं SEAC के द्वारा स्थल का पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थापना का निर्धारण गुण दोष के आधार पर किया जाता है। बेड एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही किया जाता है जो कि बायोमेडिकल अधिनियम 2016 के आधार पर यह दायित्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ही है।

CBWTF Revised Guideline for CBWTF – CPCBके पैरा 2(a) के तहत SPCB एक विहित प्राधिकृत संस्था (Prescribed Authority) है।CBWTF Revised Guideline for CBWTF – CPCB के पैरा 2(b) में गैप एनालिसिस का दायित्व State Pollution Control Boards (MPPCB इस प्रकरण में) का है।इस के आधार पर MPPCB ने "Review of coverage areas/Gap Analysis Report – 2017जारी की है जिसमे प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के साथ CBWTF स्थापना की अनुशंसा की है।

SEAC द्वारा Environment sensitivity के दृष्टिगत CBWTF यूनिट की स्थापना की श्रेणी को देखते हुये इकाई के समस्त स्थापना योग्यता का परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा उपरांत ही SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, विचार विमर्श एवं जैव अपशिष्ट के प्रदूषणकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुये जनहित, आम नागरिकों के स्वास्थ्य, एवं स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों की आवश्यकता

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एवं भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर व उपरोक्त प्रस्ताव पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन दस्तावेज, **EIA** प्रतिवेदन एवं सेक के समक्ष की गई प्रतिबद्धता एवं **SEAC** की समग्र रूप से की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये विस्तृत चर्चा उपरांत सर्व सम्मिति से **निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं परिशिष्ट –3 के साथ परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जेके मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पार्टनर श्रीमती प्रमिला शर्मा निवासी मकान नंबर 85, विनय ग्रह निर्माण सोसायटी, बावड़िया कलां, जिला भोपाल CBWTF इकाई खसरा क्रमांक 356ए गाँव–रौड़ाछापर, तहसील और जिले शिवपुरी, (म.प्र.) में स्थापना हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।**

1. प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
2. प्लांट के चारों ओर तीन कतार में सघनवृक्षारोपण किया जावें।
3. प्लांट की स्थापना रोड से अधिकतम दूरी पर की जावें ताकि रोड़ से उसकी दूरी अधिकतम मिले एवं उनसे निकलने वाली ऊष्मा एवं प्रदूषण से रोड़ से निकलने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।
4. प्लांट के सामने रोड पर किसी भी प्रकार का परिवहन प्रभाव, प्लांट गतिविधियों द्वारा न पड़े।
5. प्लांट हेतु जैव अपशिष्ट के परिवहन में संपूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पर्यावरण नियमों का पालन कड़ाई से किया जावें।
6. जैव अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें।
7. CBWTF का कार्यक्षेत्र का निर्धारण MPPCB द्वारा किया जावेगा जो कि बंधनकारी होगा।
8. अपशिष्ट की राख एवं ETPके बीच का अंतिम निष्पादन प्राधिकृत TSDFमें ही किया जावेगा। जिसका लेखा भी रखा जावेगा। परिवाहन एवं निष्पादन की सूचना MPPCBको दी जावेगी।
9. प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट Incinerator एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊँचाई 3 से 3.6 मीटर की रखी जावे।
10. ETP के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।
11. परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे, साथ ही दुर्गंध के निवारण हेतु सक्षम नियंत्रण उन्नत तकनीकी से किया जाये।

13. यह परियोजना ईकाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है इस कारण CETP की सुविधा न होने के कारण इकाई में Zero Liquied Discharge के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 में भूजल दोहन हेतु निहित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य के पूर्व अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यस्थल पर इंसीनेटर के तापमान का डिस्प्ले कर उक्त तापमान का रिकार्ड अद्यतन रखा जावेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा CBWTFसे उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ठ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट से उत्सर्जित स्लज को मिलाकर अपवहन TSDF के माध्यम से किया जाये। परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं डाला जावे।

20. प्रकरण कमांक 9518/2022– परियोजना प्रस्तावक श्री रिक्की जैन आत्मज श्री अनिल कुमार, निवासी कटरा वार्ड, हनुमान मंदिर के पीछे, बीना, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 164/1/1, 164/2/2, 165/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम वरमढ़ी, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

वृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रासंख्या
बैरियरजोन(प्रथम वर्ष में)	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल,सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	700
परिवहनमार्ग(पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल।	500
	Total	1200

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बरमढ़ी के शासकीय हाई स्कूल में स्पोर्ट्स किट (वॉली बॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट किट) प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक श्री रिक्की जैन आत्मज श्री अनिल कुमार, निवासी कटरा वार्ड, हनुमान मंदिर के पीछे, बीना, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 164/1/1, 164/2/2, 165/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम वरमढ़ी, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा का पत्र क्र. 2951 दिनांक 07.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा</u>

21. प्रकरण क्र. 8099/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर, श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मार्बल पत्थर खदान (ओपनकास्ट

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा 406, 417, ग्राम पोड़ी, तहसील ढ़ीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में SEIAA द्वारा 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :--

"..........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट नहीं है कि उक्त मार्ग परिवर्तित कर लिया गया है जबकि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज के अनुसार उक्त ग्रामीण सड़क वर्ष 2020 में ही निर्मित हो चुकी है जो कि खदान क्षेत्र के बीचो–बीच परिलक्षित हो रही है। साथ ही तहसीलदार के संलग्न प्रमाणित मानचित्र में भी उक्त सड़क खसरा नम्बर 417 प्रस्तावित खदान पर परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

माननीय एनजीटी एवं सीपीसीबी दिशा निर्देशों के उक्त मादण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्राधिकरण द्वारा 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए प्रकरण में ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी एवं खदान के अंदर स्थित आवागमन मार्ग को भी कलेक्टर महोदय द्वारा लीज एरिया के बाहर से निर्मित करवा दिया गया है के संबंध स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत उक्त आवेदन को मान्य करते हुए परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि नो ब्लास्टिंग का शपथ पत्र, कलेक्टर द्वारा निर्मित वैकल्पिक मार्ग के दस्तावेज मय फोटोग्राफ, ईआईए, जनसुनवाई, अनुमोदित माईनिंग प्लान व सभी संबंधित दस्तावेजों सेहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन किया जाये।

22. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल से प्राप्त पत्र संख्या 10–19/2021 (पर्यावरण) दिनांक 24.03.23 के परिपालन में कार्यालयीन ज्ञापन जारी करने बावत्।

Representation on Implementation of Environmental Legislation on Ground Water in the Infrastructure Projects Residential/Commercial Projects/Automobile Service Centres and Packaged Drinking Water Industries in M.P state-regarding.

उपरोक्त विषयान्तर्गत भू – जल दोहन में हो रही **violation** के सम्बन्ध में श्री रमेश शर्मा के प्रस्तुतीकरण को क्रियान्वित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपालसे पत्र (संख्या 10–19/2021 (पर्यावरण) दिनांक 24.03.23) प्राप्त हुआ है । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं आवासीय/वाणिज्यिक परियोज़नाओं/ऑटोमोबाइल सेवा केंद्रों, खनन, उद्योगों द्वारा भूजल का दोहन पर्यावरणीय नियम के अनुसार नहीं किया जा रहा है। यद्यपि SEIAA द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मिलने के साथ ही भूजल निकासी के लिए सीजीडब्ल्यूए से वैध एनओसी प्राप्त करने की शर्त भी लगाई जाती है। इस संबंध में प्राधिकरण को निम्नानुसार कार्यालयीन ज्ञापन जारी कर सर्व संबंधितो (परियोजना प्रस्तावको) को अनिवार्य रूप से सीजीडब्ल्यूए (केंद्रीय भूजल प्राधिकरण) से एनओसी प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. Water requirement of the project shall be ensured to be met only through the licensed tanker water suppliers for the cases wherein water supply is stipulated to be met through water tankers.
2. No Ground water abstraction be permitted without prior permission of the competent authority (CGWB/CGWA).Accordingly, copy of the NOC for ground water abstraction shall be submitted to all the regulatory authorities, i.e., SEIAA, MOEFCC, IRO Bhopal, MPPCB and CPCB 10-19/2021(Env.)I/39112/2023.
3. Project authorities shall ensure mandatory compliance of the stipulations made in the NOC for Ground water abstraction and the status of the same shall be submitted as a part of the six monthly compliance reports.

अतःसभी संबंधितों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जो अपनी परियोजनाओं के लिए भूजल का उपयोग करते हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयनसे पहले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सीजीडब्ल्यूए (केंद्रीय भूजल प्राधिकरण) से एनओसी प्राप्त करें।

उपरोक्त के संदर्भ में, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि परियोजना प्रस्तावक अनिवार्य रूप से पर्यावरण स्वीकृति में भू जल निकासी के सम्बन्ध में निहित शर्तो का अनिवार्य रूप से पालन करे एवं तदनुसार अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्राधिकरण/क्षेत्रीय कार्यालय,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल को सूचित करे। यदि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत/अपलोड करने में विफल रहता हैतो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार केकार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.09.2019 के अनुसार ऐसी परियोजना की पर्यावरण मंजूरी को स्थगित रखने या निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्ते:

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–3

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तेः

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. The entire demand of fresh water should be met through private tanker and if exceeds the requirement PP should obtain NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
3. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

4. ZLD status shall be maintained all the time.
5. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
6. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
7. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
8. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
9. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
10. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
11. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
12. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
13. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
14. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
15. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
16. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.
17. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

18. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.

19. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.

20. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.

21. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.

22. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.

23. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.

24. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.

25. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.

26. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.

27. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.

28. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.

29. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

30. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

31. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

32. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.

33. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.

34. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

35. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.

36. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.

37. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष